न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/45/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/240

अपीलार्थी
डॉ0 सुरेश चन्द मीना, एडवोकेट
EWS,C-85, बुध विहार, अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 09.07.2025
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 28.05.2025 के माध्यम से "नकल विनिमय आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ आदेश सं. 857–858 दिनांकः 24.03.2008 बहक हुसैना, बुदला वगै0 वाके ग्राम–बगड़ राजपूत, तह0 रामगढ की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय, पत्र सं. 300 दिनांकः 13.06.2025 के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री अंकुर, सहायक प्रोग्रामर उपस्थित हुए एवं पत्र सं. आर.टी.आई./2025/546 दिनांकः 24.07.2025 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 28.05.2025 में वांछित पत्रावली अभिलेख में सर्च किए जाने उपरान्त उपलब्ध नहीं हो पाने बाबत विनिश्चय कर सूचित किया गया है।
7. तथापि लोकहित में अपील का निर्णय इस प्रकार किया जाता है कि संदर्भित पत्रावली को पुनः गहनता से तलाश किए जाने बाबत **सर्च कमेटी का गठन** किया जाकर पुनः विनिश्चय कर अपीलार्थी को नियमानुसार निःशुल्क ही पंजीकृत–पत्र के माध्यम से सूचित किया जावे।
8. अतः उक्त आलोक में **अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. आज दिनांकः 07.08.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)